UPRB010000792005 (JO CODE–UP01657)

न्यायालय नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

सत्र परीक्षण सं० 182/2010 राज्य बनाम उमेश सिंह आदि अपराध संख्या–41/2005 धारा–307 भा०दं०स० थाना भदोखर, रायबरेली।
सत्र परीक्षण सं० 183/2010 राज्य बनाम उमेश सिंह अपराध संख्या–42/2005 धारा–3/25 आयुध अधिनियम थाना भदोखर, रायबरेली।
सत्र परीक्षण सं० 456/2010 राज्य बनाम उमेश सिंह आदि अपराध संख्या–43/2005 धारा–41,411,403 भा०दं०सं० थाना भदोखर, रायबरेली।
सत्र परीक्षण सं० 457/2010 राज्य बनाम वीर बहादुर सिंह अपराध संख्या–41/2005 धारा–3/25 आयुध अधिनिमय थाना भदोखर, रायबरेली।

दिनांक –19.05.2022

उपरोक्त पत्रावलियाँ पेश हुई। अभियुक्त उमेश सिंह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। अभियुक्तगण दिनेश कुमार यादव व वीर बहादुर की हाजिरी माफी प्रस्तुत की गयी है। अभियोजन साक्षी एस०आई० अखिलेश कुमार यादव उपस्थित है। अभियोजन साक्षी एस०आई० अखिलेश कुमार यादव का बयान अंकित किया गया है। माल मुकदमा में से एक मूर्ति स्थानीय थाने द्वारा प्रस्तुत है। अपराध संख्या 42/2005 व 44/2005 से सम्बन्धित माल मुकदमा प्रस्तुत नहीं हुआ है।

रिपोर्ट सदर मालखाना रायबरेली जरिये अभियोजन द्वारा इस आशय की प्राप्त हुई है कि जनपद रायबरेली के थाना भदोखर से सम्बन्धित मु०अ०सं० 42 व 44/2005 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का माल सदर मालखाना के अभिलेखानुसार दाखिल होना पाया जाता है किन्तु उक्त माल प्रार्थी के चार्ज में नहीं मिला है जो सम्बन्धित माल खाना मोहर्रिर डी०डी० सिंह के चार्ज में है जिनके विरूद्ध थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत होने के कारण एक कमरा सील है अभिलेखानुसार उक्त माल उसी कमरे में रखा गया है जो चार्ज में नहीं प्राप्त हुआ है। सम्बन्धित माल प्रार्थी के चार्ज में नहीं है। एच०सी०पी० डी०डी० सिंह गैर जनपद से सेवानिवृत्त हो चुके है।

एक अन्य प्रार्थना पत्र 185 ख सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा इस आशय का दिया गया है कि उक्त सत्र परीक्षण एग्जाई है जिसमें वादी एस०आई० पी०के० तिवारी पी०डब्लू०–2 का साक्ष्य दिनांक 19.10.2011 माननीय न्यायालय में हुआ था परन्तु बरामद माल मुकदमा वादी मुकदमा के द्वारा साबित नहीं कराया गया। अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत वादी के द्वारा ही माल मुकदमा साबित कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है न्यायहित में वादी मुकदमा पी०के० तिवारी को तलब करने की कृपा करे।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत सत्रवाद में अभियोजन साक्षी विवेचक एस०आई० अखिलेश कुमार यादव जनपद लखीमपुर खीरी से साक्ष्य हेतु उपस्थित आये है। उक्त साक्षी इस न्यायालय द्वारा

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र प्रेषित किये जाने के बाद उपस्थित आया है परन्तु सम्बन्धित थाने द्वारा सम्पूर्ण माल मुकदमा प्रस्तुत न किया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक है। उपरोक्त पत्रावलियाँ इस न्यायालय में लम्बित प्राचीनतम पत्रावली है जिसका निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यथाशीघ्र किया जाना है।

<u>आदेश</u>

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 185 ख स्वीकार किया जाता है। अभियोजन साक्षी एस०आई० पी०के० तिवारी साक्ष्य हेतु दिनांक 31.05.2022 को तलब हो। पुलिस अधीक्षक रायबरेली को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत सत्रवाद में स्थानीय थाना भदोखर द्वारा सम्पूर्ण माल मुकदमा न्यायालय प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानाध्यक्ष भदोखर व इंचार्ज सदर मालखाना रायबरेली के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा कृत कार्यवाही से न्यायालय को दिनांक 31.05.2022 को अवगत कराये तथा उक्त तिथि को सम्बन्धित सत्रवाद में सम्पूर्ण माल मुकदमा प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करे। अन्यथा की स्थिति में यदि न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पुलिस अधीक्षक रायबरेली व अभियोजन पक्ष का होगा। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु पुलिस अधीक्षक रायबरेली को प्रेषित हो।

(राकेश कुमार तिवारी)
नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

सतेन्द्र कुमार
(आशुलिपिक)

Digitally signed by Rakesh Kumar Tiwari
Date: 2022.05.20 13:10:10 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court, Raebareli